बिहार सरकार (गैर योजना)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 4/निदे0 (आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का भवन)–03–61–08/2015 46

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 26.9.16

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–8233 दिनांक–24.08.2016 एवं पत्रांक–8379 दिनांक–29.08.2016 के द्वारा पूर्णियाँ एवं जमुई जिला में अवस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र भवनों के जीर्णोद्धार कार्य, स्वच्छता अधिष्ठापन एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में संलग्न विवरणी–1 के अनुसार कुल ₹95,33,700/–(पन्चानवे लाख तैतीस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :–**स्वीकृत।**

2– प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में भवन निर्माण विभाग के गैर योजना मद के अन्तर्गत मांग सं0–03 के तहत बजट मुख्य शीर्ष "2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन–लधु शीर्ष–053–रखरखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0014–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु–विषय शीर्ष–2702–अनुरक्षण एवं मरम्मत–विपत्र कोड–N20**59600530014** से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नकशा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7 – इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

26.9.16

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– – 4/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–20/2014 46 पटना, दिनाक– 26.9.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक(अनुश्रवण) भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर एवं पूर्णिया/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, जमुई एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी, जमुई एवं पूर्णियां /प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर एवं पूर्णिया /जिला कल्याण पदाधिकरी, जमुई एवं पूर्णियां /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल जमुई एवं पूर्णियां /आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, वटिया/बरहट/दुलमपुर (जमुई) एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, कुमारी कोठी/मलिनियाँ(पूर्णियाँ)/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

<u>विवरणी</u> –1

कमांक	योजना का नाम	कार्य का विवरणी	स्वीकृत राशि (रू0 में)
1	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र कुमारी कोठी, पूर्णियाँ का जीर्णोद्धार कार्य	विशेष मरम्मति, रंग–रोगन, पेयजल स्वच्छता एवं विद्युतिकरण के जीर्णोद्धार का कार्य	₹ 42,93,500/-
2	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र मलिनियां, पूर्णियाँ का जीर्णोद्धार कार्य	विशेष मरम्मति, रंग–रोगन, पेयजल स्वच्छता एवं विद्युतिकरण के जीर्णोद्धार का कार्य	₹ 42,93,500/-
3	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र वटिया, जमुई के स्वच्छता अधिष्ठापन, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	जलापूर्ति, पानी टंकी, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	₹2,85,500/-
4	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र बरहट, जमुई के स्वच्छता अधिष्ठापन, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	जलापूर्ति, पानी टंकी, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	₹4,39,800/-
5	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र दुलमपुर, जमुई के स्वच्छता अधिष्ठापन, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	जलापूर्ति, पानी टंकी, समरसीबल बोरिंग एवं सेप्टिक का निर्माण कार्य	₹2,21,400/-
	कुल		₹95,33,700/-

(पन्चानवे लाख तैतीस हजार सात सौ रूपये)

ज्ञाप संख्या–46 दिनांक–26.9.16 का अनुलग्नक

26.9.16

सरकार के सचिव।

anil allotment 2016